न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, सहरसा।

बी0 सी0 सी0 ए0 वाद संख्या– 38/2019

राज्य बनाम सकलदेव यादव

आदेश

16.04.2019	यह कार्यवाही अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 की उप धारा–3 के तहत की जा रही है। पुलिस अधीक्षक, सहरसा ने अपने पत्रांक–1244/अप०शा०, दिनांक–16.03.2019. के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि सकलदेव यादव, पिता– स्व० नुनुलाल यादव, साकिन– पदमपुर, थाना– बिहरा, जिला– सहरसा एक सक्रिय व कुख्यात अपराधकर्मी है। इनके द्वारा कई संगीन अपराधों को अंजाम दिया गया है। इनका सांठ गांठ कई सक्रिय अपराधकर्मियों के साथ है। इनके द्वारा किये गये अपराध से आमजनों में भययुक्त माहौल बना रहता है और इनके आतंक से लोग काफी भयभीत रहते हैं। वर्तमान में ये माननीय न्यायालय से ज़मानत पर मुक्त हैं। आगामी लोक सभा निर्वाचन– 2019 में ये विभिन्न दलों के साथ मिलकर अपनी दबंगता एवं अपराधिक गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे लोक सभा निर्वाचन 2019 को स्वच्छतम सम्पन्न कराने में व्यवधान पड़ने की संभावना बतायी गयी है। उक्त अपराधकर्मी को बाहर रहने से विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उक्त अपराधी भा0द0वि0 के अध्याय 16 एवं 17 में उल्लेखित दंडनीय अपराध में संलिप्त रहता है तथा अपराध नियंत्रण अधिनियम–1981 के धारा–2 (डी.) में वर्णित असामाजिक तत्व की परिभाषा इस पर पूर्ण रूप से लागू होता है। इनका अपराधिक इतिहास निम्नवत है। 01. बिहरा थाना काण्ड संख्या– 55/2000 दिनांक– 11.05.2000 धारा– 302, 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र संख्या– 81/2000 समर्पित। 02. बिहरा थाना काण्ड संख्या– 16/09 दिनांक– 29.01.2009 धारा– 395 भा0द0वि0 में आरोप पत्र संख्या– 37/09 दिनांक– 08.04.2009 समर्पित। 03. बिहरा थाना काण्ड संख्या– 81/11 दिनांक– 21.08.2011 धारा– 302, 307, 120बी भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र संख्या– 123/11 दिनांक– 19.11.2011 समर्पित। पुलिस को सूचना मिली कि सकलदेव यादव असामाजिक तत्वों को एकत्र कर लोकसभा चुनाव 2019 में अपने समर्थित अभ्यर्थी के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए डरा धमका रहे हैं जिससे आम मतदाता काफी भयभीत हैं। यह भी सूचना प्राप्त हुई कि इनके द्वारा आगामी चुनाव में व्यवधान उतपन्न किये जाने की योजना बनाया जा रहा है, जिससे शांतिपूर्ण चुनाव में व्यवधान उतपन्न होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। उक्त आलोक में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय से

	पत्रांक–151 / न्याया0 / सपत्र, दिनांक–18.03.2019 द्वारा नोटिश जारी कर प्रतिवादी को अपना कारण–पृच्छा समर्पित करने हेतु दिनांक– 25.03.2019 को 1.00 बजे अप0 निर्धारित की गई। निर्धारित तिथि 25.03.2019, 26.03.2019, 29.03.2019, 05.04.2019, 08.04.2019 व 11.04.2019 को विपक्षी के नोटिस तामिला अप्राप्त रहने के कारण पुनः अगली तिथि 16.04.2019 निर्धारति की गई। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक– 2023 / अप०शा०, दिनांक– 16.04.2019 से प्रतिवादी के नोटिश का तामिला प्रतिवेदन न्यायालय में उपलब्ध कराया गया, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। नोटिश का तामिला प्राप्त होने के बाद भी प्रतिवादी निर्धारित तिथि– 16.04.2019 को उपस्थित नहीं हुए। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने बताया कि इन पर वर्णित काण्ड में जो आरोप है, वह गंभीर प्रकृति के है। ऐसे चरित्र के व्यक्ति को छोड़ना न्यायहित एवं लोकहित में उचित नहीं है। प्रतिवादी के अपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अन्तर्गत ये " असामाजिक तत्व " है तथा इसकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध है, जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त है या लिप्त हो सकते है, जो भारतीय दंड विधान 1981 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिस पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर सकलदेव यादव, पिता– स्व० नुनुलाल यादव, साकिन– पदमपुर, थाना– बिहरा, जिला– सहरसा को लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी होने अर्थात दिनांक– 25.05.2019 तक के लिए सहरसा जिला से खगड़िया जिला के लिए जिला बदर किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे दिनांक– 18.04.2019 से खगड़िया जिला के बैलदौर थाना में सदेह उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 9.00 बजे पूर्वाह्न से 11.00 बजे पूर्वाह्न एवं 5.00 बजे अपराह्न से 8.00 बजे अपराह्न के बीच अपना उपस्थिति दर्ज करायेंगे। यदि वे दिनांक– 23.04.2019 को अपना मत का प्रयोग करना चाहेंगे, तो उन्हें लिखित रूप से सूचना बैलदौर थाना में, मतदान केन्द्र पर पहुँचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण व्यौरा समर्पित करना होगा तत्पश्चात हीं मतदान करने हेतु प्रस्थान करेंगे। थानाध्यक्ष, बैलदौर थाना को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में सहरसा जिला से तड़ीपार किये गए सकलदेव यादव, पिता– स्व० नुनुलाल यादव,

	साकिन– पदमपुर, थाना– बिहरा, जिला– सहरसा के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करवायेंगे तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भेजना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया/पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, बैलदौर/पुलिस अधीक्षक, सहरसा/थानाध्यक्ष बिहरा को भेजें। सकलदेव यादव को इस आदेश की प्रति तामिला कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु थानाध्यक्ष बिहरा को भेजें। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, सहरसा को पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, बैलदौर को अपने स्तर से तामिला हेतु तथा सहरसा जिले के सभी थानाध्यक्षों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने संबंधी निदेश देने के लिये अग्रसारित करेंगे। आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति सहरसा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें। लेखापित एवं शुद्धिकृत जिला दण्डाधिकारी, सहरसा। जिला दण्डाधिकारी, सहरसा

ज्ञापांक 861 /न्याया0, सहरसा, दिनांक– 16.04.19

प्रतिलिपि– जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया/पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, बैलदौर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, सहरसा/थानाध्यक्ष बिहरा/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सकलदेव यादव, पिता– स्व० नुनुलाल यादव, साकिन– पदमपुर, थाना– बिहरा, जिला– सहरसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा।